सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 313 24 वैशाख, 1933 शकाब्द

राँची, शनिवार 14 मई, 2011

मानव संसाधन विकास विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

11 मई, 2011

संख्या रा०को0-10/2010/1291--झारखण्ड के राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के अधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक मे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं --

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ--

(1) यह नियमावली झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

13. विद्यालय की मान्यता वापस लेना–

(1) जहां जिला शिक्षा अधीक्षक विवेक से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर यह विश्वास करने का कारण रखते हैं कि नियम–12 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय ने मान्यता प्रदान किए जाने के लिए शर्तों में से एक या अधिक का उल्लंघन किया है या अनुसूची में उल्लेखित मापदंडों और मानकों को पूरा करने में असफल रहा है तो जिला शिक्षा अधीक्षक निम्नलिखित रूप से कार्य करेगा :–

(क) विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तों के उल्लंघन को उल्लेखित करते हुए सूचना जारी करना और उससे एक मास के भीतर स्पष्टीकरण मांगना;

(ख) स्पष्टीकरण को संतोषप्रद न पाए जाने या नियत समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में उक्त पदाधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जाएगा जो तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें शिक्षाविद्, सिविल सोसाईटी के प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। यह समिति विद्यालय की सम्यक् जांच करेगी और अपना प्रतिवेदन मान्यता के जारी रहने या उसे वापस लेने के लिए अपनी अनुसंशाओं सहित जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रस्तुत करेगी;

(ग) जिला शिक्षा अधीक्षक समिति के प्रतिवेदन और अनुसंशाओं के प्राप्त होने पर मान्यता वापस लेने के लिए आदेश पारित कर सकेंगे; परंतु जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा मान्यता वापस लेने का ऐसा कोई आदेश विद्यालय को सुनवाई के लिये पर्याप्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा एवं यह कि जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(2) जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा पारित मान्यता वापस लेने का आदेश तुरंत अनुवर्ती शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होगा तथा मान्यता वापस लेने वाले आदेश में ही यह उल्लेख किया जायेगा कि ऐसे विद्यालय के छात्र को किस विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा।

भाग 6– अध्यापक

14. न्यूनतम अहर्ताएं

(1) केन्द्र सरकार से अधिसूचित प्राधिकार द्वारा निर्धारित योग्यता सभी कोटि के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के मामलों में लागू होगी।

15. नयूनतम अहर्ताओं का अर्जित किया जाना :—

(1) राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों के ऐसे सभी शिक्षकों, जो नियत तारीख को प्रशिक्षित नहीं है, को प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करायेगी, परन्तु यह कि नियत तारीख के उपरान्त किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जायेगी।

(2) सभी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं विशेष कोटि के विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिनियम लागू होने के पांच वर्षों के अन्तर्गत उनमें कार्यरत कोई भी शिक्षक अप्रशिक्षित न हो।

16. अध्यापकों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले कर्तव्य

(1) अध्यापक प्रत्येक बच्चे के लिये सतत एव व्यापक मूल्यांकन आधारित अभिलेख संधारित करेंगे जो प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने के लिये प्रमाणपत्र देने का आधार होगा।

(2) अध्यापक, धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ङ) तक में उल्लेखित कर्त्तव्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कर्तव्यों का अनुपालन करेंगे—

(क) प्रंशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना ;

(ख) पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यक्रम विकास, पाठ्य पुस्तक विकास तथा प्रशिक्षण माडयुल में भाग लेना।

भाग 7— पाठ्यचर्चा और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना

17. शैक्षणिक प्राधिकार :—

(1) अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत राज्य सरकार का शैक्षणिक प्राधिकार झारखण्ड राज्य शिक्षा शोध तथा प्रशिक्षण परिषद् होगा।

(2) राज्य शिक्षा शोध तथा प्रशिक्षण परिषद् निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करेगा:—

(क) सुसंगत एवं प्रासंगिक पाठ्य—पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करना ;

(ख) सेवाकालीन प्रशिक्षण डिजाइन तैयार करना ;

(ग) सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना; और,

(घ) विद्यालयों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु मार्ग निदेश तैयार करना।

18. प्रमाणपत्र प्रदान करना :—

(1) प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने का प्रमाणपत्र विद्यालय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के अधिकतम एक मास की अवधि के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में उल्लेखित प्रमाणपत्र में बालक के छात्र संबंधी अभिलेख के आधार पर प्रविष्टियां की जायेंगी।

भाग 8 बाल अधिकारों का संरक्षण

19. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कार्यों का निर्वहन :—

(1) राज्य सरकार द्वारा, यदि राज्य में राज्य बाल अधिकार आयोग स्थापित नहीं है, तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

(2) जब तक राज्य सरकार द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना नहीं की जाती है, तब तक राज्य सरकार अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) में उल्लेखित कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण के रूप में एक अंतरिम प्राधिकरण (जिसे इस नियमावली में इसके पश्चात् आर० ई० पी० ए० कहा गया है) का गठन करेगी।

(3) शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण (आर० ई० पी० ए०) निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात :—

(क) अध्यक्ष, जो उच्च शैक्षणिक ख्याति का व्यक्ति हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या जिसने बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिये उत्कृष्ट कार्य किया हो ; और

(ख) दो सदस्य जिनमें से एक महिला होंगी और वे सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रख्यात, योग्य, विश्वसनीय, गणमान्य एवं अनुभवी हैं ;

(i) शिक्षा एवं शिक्षा प्रशासन ;

(ii) बाल स्वास्थ्य और बाल विकास ;

(iii) बाल संरक्षण एवं न्याय या उपेक्षित या निम्नवर्गीय या निःशक्त बाल विकास ;

(iv) बाल श्रमिक उन्मूलन या व्यथित बच्चों के साथ कार्य;

(v) बाल मनोविज्ञान या सामाजिक शास्त्र ;

(अप) विधिक वृत्ति।

(4) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2006 यथावश्यक परिवर्तन सहित आर0 ई0 पी0 ए0 के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों पर लागू होंगे।

(5) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के तुरंत पश्चात आर0 ई0 पी0 ए0 के सभी अभिलेख और आस्तियां उसे अंतरित हो जायेंगी।

(6) यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आर0 ई0 पी0 ए0 अपने कृत्यों का निर्वहन करने में राज्य सलाहकार परिषद् द्वारा उसे उल्लेखित विषयों पर भी कार्रवाई कर सकेगा।

(7) राज्य सरकार, यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आर0 ई0 पी0 ए0 को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन मे संसाधन एवं सहायता उपलब्ध करायेगी।

20. **राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति–**

(1) यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आर0ई0प्री0ए0 एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना करेगा जो अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध मे परिवादों को पंजीकृत करेगी जिनका उसके द्वारा पारदर्शी रूप में अनुश्रवण किया जा सकेगा।

(2) शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से जिला शिक्षा न्यायाधीकरण गठित किये जायेंगे।

(3) स्थानीय प्राधिकार एवं विद्यालय प्रबंध समिति क्रमशः पंचायत एवं विद्यालय स्तर पर शिक्षा के अधिकार के संरक्षण हेतु विद्यालय को नियमानुकूल निदेश निर्गत करेगी।

(4) उम्र संबंधी साक्ष्य या स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के अभाव में विद्यालय द्वारा नामांकन नहीं लिये जाने की स्थिति में संबंधित बच्चे के माता–पिता या अभिभावक विद्यालय प्रबंध समिति के समक्ष लिखित रूप में शिकायत दर्ज कर सकेंगे एवं विद्यालय प्रबंध समिति ऐसी शिकायतों का अविलम्ब निबटारा कर बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करेगी।

(5) इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप विद्यालय की सुविधा अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति द्वारा स्थानीय प्राधिकार को आवेदन समर्पित किया जा सकेगा। स्थानीय प्राधिकार वस्तुस्थिति की जांच कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध करायेगा। जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति ऐसे मामलों में नियमानुसार निर्णय लेगी एवं अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगी।

(6) सरकार द्वारा देय निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक, लेखन सामग्री या पोशाक उपलब्ध नहीं होने की शिकायत विद्यालय प्रबंध समिति से की जा सकेगी। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित बच्चे के माता पिता अभिभावक स्थानीय प्राधिकार के समक्ष अपील करेंगे।

(7) विद्यालय / शिक्षक द्वारा बच्चे के प्रति किसी प्रकार के भेद–भाव बरते जाने की शिकायत प्रथमतः विद्यालय प्रबंध समिति को की जायेगी। प्रबंध समिति द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने की स्थिति में प्रथम अपील स्थानीय प्राधिकार एवं द्वितीय अपील जिला शिक्षा न्यायाधीकरण के समक्ष दायर किया जायेगा।

(8) शिक्षकों के अविधिमान्य प्रतिनियोजन या उनके द्वारा ट्यूशन / कोचिंग कार्य किए जाने की शिकायत स्थानीय प्राधिकार के समक्ष दायर की जा सकेगी। स्थानीय प्राधिकार द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने या उनके निर्णय के विरुद्ध अपील जिला शिक्षा न्यायाधीकरण में किया जायेगा।

(9) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से संबंधित प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इसकी शिकायत विद्यालय प्रबंध समिति से की जा सकेगी। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने की स्थिति में स्थानीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया जायेगा।

21. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन–

(1) राज्य सलाहकार परिषद् (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् परिषद् कहा गया है) एक अध्यक्ष और चौदह सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) राज्य सरकार में प्रारंभिक शिक्षा का प्रभारी मंत्रिपरिषद् का सदस्य पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जायेगी, जो निम्नानुसार हैः–

(क) कम से कम तीन सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक हैं ;

(ख) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिनके पास विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो ;

(ग) दो सदस्य प्रारंभिक शिक्षा के प्रषासन क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों मे से होंगे ;

(घ) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जिनके पास अध्यापन अथवा शिक्षा के क्षेत्र मे विशेषज्ञताप्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है।

(ङ) परिषद् के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:–

(i) प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव / प्रधान सचिव ;
(ii) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ;
(iii) अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग / अध्यक्ष आर0ई0पी0ए0;
(iv) झारखण्ड राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक;
(v) राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक ;
(vi) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

(च) सभी सदस्यों में से एक तिहाई महिला होंगी।

(छ) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा इस परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

(4) परिषद अन्य संबद्ध मंत्रालयों / विभागों के प्रतिनिधियों को भी आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

भाग 9—अन्यान्य

22. अन्यान्य —

(1) ऐसे विद्यालय, जिसे सरकार द्वारा लीज / सबलीज़ अथवा अनुदानित दर पर भूमि उपलब्ध कराई गयी हो, को अधिनियम की धारा 2(n)(ii) में वर्णित सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय की श्रेणी में सम्मिलित माना जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार, राज्य बाल अधिकार आयोग, शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकार, स्थानीय प्राधिकार या व्यक्ति के द्वारा सद्भावना से किये गये या किये जाने वाले किसी कार्य के विरुद्ध किसी प्रकार का अभियोग, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं चलाई जायेगी।

(3) यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में किसी कठिनाई की संभावना उत्पन्न होगी तो राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसे कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत हो।

(4) राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा निर्गत इस नियमावली से संबंधित कोई भी स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा ।

(5) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली को स्पष्ट कर सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मृदुला सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव।

परिशिष्ट

प्रपत्र–1

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वःघोषणा–सह–आवेदन

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक,

(जिलों का नाम)

महोदय,

मै एतद्द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में उल्लेखित सन्नियमों और मानकों के अनुपालन के संबंध में एक स्वःघोषणा और .... (विद्यालय का नाम) को .... वर्ष 20................................ विद्यालय के प्रारंभ से मान्यता प्रदान करने के लिये विहित प्रपत्र में एक आवेदन अग्रेसित करता हूँ।

अनुलग्नक :

स्थान :

भवदीय,

तारीख :

प्रबंधक / अध्यक्ष / चेयरमैन

प्रबंध समिति

.....................................विद्यालय

क. विद्यालय का ब्योरा		
1	विद्यालय का नाम	
2	शैक्षिक सत्र जिससे मान्यता प्रस्तावित है	
3	जिला	
4	डाक का पता	
5	ग्राम / नगर	
6	तहसील	
7	पिन कोड	
8	फोन नं0 एसटीडी कोड सहित	
9	फैक्स नं0, एस0टी0डी0 कोड सहित	
10	ई–मेल पता, यदि कोई हो	
11	निकटतम पुलिस थाना	

ख. साधारण सूचना		
1	स्थापना का वर्ष	
2	पहली बार विद्यालय खोलने की तारीख	
3	न्यास / सोसाइटी / प्रबंध समिति का नाम	
4	क्या न्यास / सोसाइटी / प्रबंध समिति रजिस्ट्रीकृत है।	
5	वह अवधि, जिस तक न्यास / सोसाइटी / प्रबंध समिति का रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य है।	
6	क्या न्यास / सोसाइटी / प्रबंध समिति के गैर–स्वामित्व प्रकृति का कोई सबूत है, जो शपथ–पत्र पर सदस्यों के पतों सहित उनकी सूची द्वारा समर्थित हो।	
7	विद्यालय के प्रबंधक / अध्यक्ष / चेयरमैन का नाम और शासकीय पता।	
	नाम	
	पदनाम	
	पता	
	फोन	................................(कार्यालय)

		......................................(निवास)
8	पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल आय और व्यय आधिक्य / कमी	

	वर्ष	आय (रू0)	व्यय (रू0)	आधिक्य (रू0)	कमी (रू0)

ग. विद्यालय का स्वरूप और क्षेत्र		
1	शिक्षा का माध्यम	
2	विद्यालय की किस्म (प्रवेश और अंतिम कक्षाएं उल्लेखित करें) यथा : अधिनियम की धारा 2 (n) में वर्णित	
3	यदि विद्यालय सहायता प्राप्त है तो अभिकरण का नाम और सहायता का प्रतिशत	
4	यदि विद्यालय मान्यता प्राप्त है	
5	यदि हां, तो प्राधिकार का नाम एवं मान्यता संख्यांक	
6	विद्यालय का अपना स्वयं का भवन है या वह किराए के भवन में कार्य कर रहा है	
7	क्या विद्यालय के भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थलों का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिये किया जा रहा है	
8	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र	

घ. नामांकन प्रारिथति			
	कक्षा	वर्गों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1	पूर्व–प्राथमिक		
2	1 से 5		
3	6--8		

ड़ अवसंरचना के ब्यौरे और स्वच्छता संबंधी दशाएं

	कक्ष	संख्या	औसत आकार (लंबाई x चौड़ाई)
1	कक्षा		
2	कार्यालय कक्ष भंडार कक्ष प्राध्यापक कक्ष इत्यादि		
3	रसोई–सह–भंडार कक्ष		

च. अन्य प्रसुविधाएं		
1	क्या सभी प्रसुविधाओं तक बाधारहित पहुंच प्राप्त है	
2	अध्यापन–पठन सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3	खेल–कूद और क्रीड़ा उपस्कर (सूची संलग्न करें)	
4	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा – पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या) – पत्रिकाएं/समाचार–पत्र	
5	पेयजल सुविधाओं की किस्म और संख्या	
6	स्वच्छता संबंधी दशाएं	
	(i) डब्ल्यू सी और मूत्रालयों की किस्म	
	(ii) बालकों के लिये पृथक मूत्रालयों/शौच गृहों की संख्या	
	(iii) बालिकाओं के लिये पृथक मूत्रालयों/शौच गृहों की संख्या	

छ. अध्यापन कर्मचारीवृंद की विशिष्टियां			
1.			
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शैक्षिक अर्हत्ता	प्रशैक्षणिक अर्हत्ताएं	अध्यापन संबंधी अनुभव

भाग 1–प्रारंभिक

2. परिमाषाएँ–

(1) इन नियमों मे, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो,–

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) ;

(ख) ''नियमावली'' से तात्पर्य है झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 ;

(ग) "आंगनबाड़ी" से तात्पर्य है भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्र ;

(घ) "नियत तारीख" से तात्पर्य है वह तारीख जिस तिथि से अधिनियम लागू किया गया है;

(ङ) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार ;

(च) "जिला शिक्षा अधीक्षक" से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य के किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी ;

(छ) ''बच्चे'' से तात्पर्य हैं 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे ;

(ज) "छात्र–शिक्षक अभिलेख" से तात्पर्य है व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया छात्र की प्रगति का अभिलेख ;

(झ) "विद्यालय योजना निर्माण" से तात्पर्य है सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक अंतर को कम करने के लिये अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिये विद्यालय स्थान की योजना बनाना ;

(ञ) "विभाग" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का मानव संसाधन विकास विभाग।

(2) इस नियमावली में "प्रपत्र" का कोई भी संदर्भ इस नियमावली के परिशिष्ट में दिये गये प्रपत्र(त्रों) को इंगित करेगा।

(3) जो शब्द इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

	(4)	(5)	(6)
	सौंपी गयी कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

2. प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में अध्यापन (प्रत्येक अध्यापक के ब्यौरे पृथक रूप से)

	अध्यापक का नाम (1)	पिता / पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शैक्षिक अर्हत्ता (4)	प्रशैक्षणिक अर्हत्ताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	सौंपी गयी कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

3. प्रधान अध्यापक

	अध्यापक का नाम (1)	पिता / पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शैक्षिक अर्हत्ता (4)	प्रशैक्षणिक अर्हत्ताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	सौंपी गयी कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

ज. पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम		
1	प्रत्येक कक्षा में अपनाई गई पाठ्चर्या और	

	पाठ्यक्रम के ब्यौरे (कक्षा I से VIII तक)	
2	विद्यार्थियों के निरीक्षण की पद्धति	
3	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है?	

(झ) प्रमाणित किया जाता है कि राज्य प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विद्यालय का ो भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(ञ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय यह वचनबंध करता है कि वह ऐसे सभी प्रतिवेदन एवं नकारियां प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हों और राज्य प्राधिकार या ला शिक्षा अधीक्षक के ऐसे सभी अनुदेशों का अनुपालन करेगा, जो मान्यता की शर्तों के सतत अनुपालन को नैश्चित करने के लिये या विद्यालय के कायकलाप में कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जायेंगे।

(ट) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विद्यालय के अभिलेख सी भी समय जिला शिक्षा अधीक्षक या राज्य प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये लब्ध होंगे और विद्यालय ऐसी सभी सूचनायें प्रस्तुत करेगा, जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार या ासन को यथास्थिति, संसद/विधान सभा/पंचायत/नगरपालिका के प्रति उसकी बाध्यताओं का निर्वहन ने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हो।

ह0/–
अध्यक्ष/प्रबंधक/चेयरमैन
प्रबंध समिति,
..................................विद्यालय

नांक :

ान :

प्रपत्र–2

जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय

{जिला का नाम}

संख्यांक तारीख :

प्रबंधक,

विष्यः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके द्वारा दिनांक.......................... को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुये पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, मैं .... (विद्यालय का नाम, पते सहित) को शैक्षणिक सत्र .... से कक्षा .... से .... तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :–

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका–3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत् प्रतिपूर्तित राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।

5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता–पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।

7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :

   i. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;

   ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक देड नहीं दिया जाएगा;

   iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी;

   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण–पत्र पदान किया जाएगा;

   v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा;

   vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरुप किया जायेगा तथा जिनके पारा उस निर्धारित न्यूनतम् अहर्ता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पाच वर्ष के भीतर ऐसी न्यनतम् अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे;

   vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे; और

   viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।

10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :–

   i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

   ii. कुल निर्मित क्षेत्र

   iii. क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल

   iv. कक्षाओं की संख्या

   v. प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष

   vi. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

vii. पेयजल सुविधा

viii. मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)

ix. बाधारहित पहुंच

x. अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूल उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक .... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाये।

जिला शिक्षा अधीक्षक।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 313--150+600